

राजस्थानसरकार
निदेशालय कोष एवंलेखाराजस्थानजयपुर
"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2020 / 6456 दिनांक:- 01/01/2021

कार्यालय आदेश

विभागीय सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 38/2020-21 दिनांक 29.04.2020 द्वारा दिनांक 31.10.2020 (म.पश्चात) से श्री बन्नाराम मेघवाल, कनि0 लेखाकार (लिक नं. 9765) के सेवानिवृत्त आदेश जारी किये गये थे।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बन्नाराम मेघवाल के विरुद्ध सेवानिवृत्ति तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण,अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण,अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2020 / 6456 दिनांक:- 01/01/2021

प्रतिलिपिनिम्नकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्रवाईहेतुप्रेषितहै :-

1. संयुक्त शासनसचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासनसचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवंपेंशनर्सवेल्फेयरविभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्तनिदेशक, पेंशन एवंपेंशनर्सवेल्फेयरविभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. सम्बन्धितकार्यालयाध्यक्षकोप्रेषितकरलेख हैकिसेवानिवृत्तहोनेवालेकार्मिक के विरुद्ध कोईविभागीय जॉचलम्बित/प्रस्तावितहोअथवा ऐसीस्थितिहोजोपेंशनकोप्रभावितकरतीहोतोअविलम्बइसकीसूचनासम्बन्धितपेंशनकार्यालय तथाइसविभागकोभिजवावेताकिउचितकार्यवाही की जासके।
5. अतिरिक्तनिजीसचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कोविभागीय वेबसाईटपरअपलोडकरनेहेतु।
7. सम्बन्धित कनि0 लेखाकारोंकोसूचनार्थ एवंपालनार्थ।
8. अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसीअनुभाग/जांचअनुभाग/कार्यमूल्यांकनप्रतिवेदनअनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्तनिदेशक-III